रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18052022-235836
SG-DL-E-18052022-235836

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 280]	दिल्ली, मंगलवार, मई 17, 2022/वैशाख 27, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं.69
No. 280]	DELHI, TUESDAY, May 17, 2022/VAISAKHA 27, 1944	[N. C. T. D. No. 69

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मई, 2022

फा. सं. 59/WFD/COT/20-21/ 2316-23.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नजूल खाता-II, नई दिल्ली के तहत हवाई अड्डे के निर्वहन को पूरा करने के लिए सेक्टर-08, द्वारका में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4.33 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

परियोजना का नाम और स्थान	परियोजना स्थल पर वृक्षों की कुल संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)			(4)
नजूल खाता-II, नई दिल्ली के तहत हवाई अड्डे के निर्वहन को पूरा करने के लिए सेक्टर-08, द्वारका में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण हेतु।	693	637	56	693	6930
योग	**693**	**637**	**56**	**693**	**6930**

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (693 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 6930 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा ।	6930	3,95,01,000 /-	उप– वन संरक्षक (पश्चिम) / वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 637 वृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल से नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित स्थान पर स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

नियम एवं शर्तें

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:-

1. **दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)**, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्षों की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु उपरोक्तानुसार 3,95,01,000 /- रूपये (तीन करोड़ पचानवे लाख एक हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3 और 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा । हालांकि, दिल्ली विकास प्राधिकरण वृक्षारोपण और प्रत्यारोपण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा । इन स्थितियों में से किसी भी विचलन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ही जिम्मेदार होगा । उपभोगी संस्था द्वारा फोटोग्राफिक/ वीडियोग्राफिक साक्ष्य यथासमय सम्बंधित उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए स्थानों का विवरण:-

विशेषतः	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	खुला क्षेत्र (वर्गमीटर)	निर्देशांक
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल– सी.एस.1 (सेक्टर-16 डी द्वारका पार्क और वृक्षारोपण पर वृक्षारोपण)	3774	37740	A - 28°34'59.38"N 77° 2'6.38"E B - 28°34'53.47"N77° 2'4.73"E C - 28°34'59.83"N 77° 1'37.53"E D - 28°35'5.08"N77° 1'41.26"E E - 28°35'4.29"N77° 1'42.62"E F - 28°35'6.61"N 77° 1'44.50"E
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल – सी.एस.2 सेक्टर-19 द्वारका में एम/ओ पार्क (मल्टीस्टोरी के पास) ।	2128	21280	A - 28°34'46.90"N77° 2'29.53"E B - 28°34'40.34"N 77° 2'29.56"E C - 28°34'39.45"N 77° 2'39.28"E D - 28°34'31.57"N 77° 2'41.82"E E - 28°34'32.48"N 77° 2'44.24"E F - 28°34'45.02"N 77° 2'39.00"E G - 28°34'42.79"N77° 2'32.84"E H - 28°34'47.01"N 77° 2'31.36"E
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल– सी.एस.3 (एम/ओ डिस्ट्रिक्ट पार्क संख्या-2 (पॉकेट-2. के पास) सेक्टर-19 ए)	1845	18450	A - 28°35'1.16"N 77° 2'51.07"E B - 28°34'57.96"N77° 2'55.57"E C - 28°34'51.42"N 77° 2'50.13"E D - 28°34'53.49"N 77° 2'44.23"E
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल- सी.एस.4 (एम/ओ ग्रीन बेल्ट, सेक्टर 23 बी)	571	5710	A - 28°33'57.89"N 77° 2'32.67"E B - 28°33'53.90"N77° 2'32.08"E C - 28°33'53.71"N 77° 2'35.29"E D - 28°33'54.57"N 77° 2'35.44"E E - 28°33'54.71"N 77° 2'34.12"E

			F - 28°33'57.79"N 77° 2'34.20"E
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल- सी.एस. 5 (द्वारका सेक्टर -16 सी, टेलीफोन एक्सचेंज के पास)	330	3300	A - 28°35'53.51"N 77° 1'7.94"E B - 28°35'50.62"N 77° 1'7.89"E C - 28°35'49.79"N 77° 1'18.27"E D - 28°35'51.11"N 77° 1'18.36"E E - 28°35'51.34"N 77° 1'16.40"E F - 28°35'53.35"N 77° 1'16.84"E
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल– सी.एस. 6 (एम/ओ वृक्षारोपण, लाल बहादुर शास्त्री संस्थान के सामने सेक्टर-11)	610	6100	A - 28°35'23.44"N 77° 2'39.86"E B - 28°35'18.23"N 77° 2'47.97"E C - 28°35'25.53"N 77° 2'54.22"E D - 28°35'26.89"N 77° 2'52.32"E E - 28°35'24.01"N 77° 2'40.24"E
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल- सी.एस.7 (एम/ओ पार्क, सेक्टर -19 ए, पुलिस कॉलोनी के पास)	600	6000	A - 28°34'35.38"N 77° 3'10.99"E B - 28°34'29.82"N 77° 3'19.51"E C - 28°34'25.42"N 77° 3'15.91"E D - 28°34'30.61"N 77° 3'7.38"E
Total	9858	98580	

प्रत्यारोपण के लिए स्थानों का विवरण :-

विशेषतः	वृक्षों की संख्या जिन्हें प्रत्यारोपित किया जा सकता है	खुला क्षेत्र (वर्गमीटर)	निर्देशांक
प्रत्यारोपण स्थल- टी. एस.1 (एम/ओ ग्रीन एरिया सेक्टर - 20 द्वारका (मेट्रो स्टेशन सेक्टर-9 के सामने)	662	6620	A - 28°34'30.93"N 77° 3'39.04"E B - 28°34'24.12"N 77° 3'49.48"E C - 28°34'26.47"N 77° 3'54.14"E D - 28°34'30.07"N 77° 3'51.64"E
प्रत्यारोपण स्थल- टी. एस.2 (एम/ओ एम्. पी. ग्रीन एरिया, सेक्टर -19 द्वारका. (पीरवाला पार्क)	3375	3375	A - 28°35'4.07"N 77° 2'27.56"E B - 28°34'56.23"N 77° 2'25.65"E C- 28°34'47.44"N 77° 2'29.74"E D - 28°34'50.32"N 77° 2'37.70"E
Total	**4037**	**40370**	

2. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण शुरू करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-

a. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत प्रस्तुत किया जाएगा।

b. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।

c. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।

d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।

e. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

3. वृक्षों की कटाई के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:-

a. क्र.सं. 2 में शर्तों के संतुष्ट होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छ: महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।

b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।

c. उपभोगी संस्था द्वारा 56 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । 56 वृक्षो की अनुमति 637 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और उप– वन संरक्षक (पश्चिम) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।

d. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिरोपण/ कटाई की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी ।

e. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा / प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे छोड़ न दें ।

f. उपभोगी संस्था द्वारा 693 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा ।

g. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को भी दी जाएगी।

i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

j. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा ।

k. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

l. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

m. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा ।

n. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका विवरण संबंधित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊंचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा । आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा।

4. वृक्ष अधिकारी द्वारा सफल वृक्षारोपण और जमानत राशि जारी करने पर विचार करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाएगा:

a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 6930 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

b. 693 वृक्षो के प्रत्यारोपण/ काटे किए जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 6930 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा ।

c. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है । उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है ।

d. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा ।

e. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्य जीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम) को प्रस्तुत की जाएगी ।

f. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो ।

g. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।

h. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

5. 693 वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

यह माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्व अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

सत्य गोपाल, अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 17th May, 2022

F. No. 59/WFD/COT/20-21/2316-23.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 4.33 ha. approx. as detailed below for construction of storm water drain at Sector-08, Dwarka to Cater discharge of Airport under Nazul Account-II, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Name of the Project	Total No, of trees at the project site.	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)			(4)
Construction of storm water drain at Sector-08, Dwarka to Cater discharge of Airport under Nazul Account-II, New Delhi.	693	637	56	693	6930
Total	**693**	**637**	**56**	**693**	**6930**

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

SN	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation of 693 nos. of trees i.e 6930 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at various location mentioned in the table below.	6930	3,95,01,000 /-	Deputy Conservator of Forests (West)/ Tree Officer

(b)	Transplantation of 637 no. of trees are standing on project site shall be done by User Agency at location mentioned in the table below with their own funds.

TERMS & CONDITIONS

1. **Delhi Development Authority (DDA),** herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of **Rs. 3,95,01,000** /- (Rs. Three Crore Ninety Five Lakh One Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency. However ensuring Compensatory Plantation and transplantation shall be responsibility of DDA. For any deviation from these conditions DDA shall be responsible. Photographic/ videographic evidence in due course shall be submitted to Tree Officer concerned by User Agency.

Details of locations for Compensatory Plantation:-

Particular	No of Trees that can be planted	Open Area (sqm)	Coordinates
Compensatory Plantation Site – CS1(Plantation at Sec-16D Dwk M/o Park & Tree)	3774	37740	A - 28°34'59.38"N 77° 2'6.38"E B - 28°34'53.47"N77° 2'4.73"E C - 28°34'59.83"N 77° 1'37.53"E D - 28°35'5.08"N77° 1'41.26"E E - 28°35'4.29"N77° 1'42.62"E F - 28°35'6.61"N 77° 1'44.50"E
Compensatory Plantation Site – CS2 (M/o Park at Sec-19 Dwk. (Near Multistory))	2128	21280	A - 28°34'46.90"N77° 2'29.53"E B - 28°34'40.34"N 77° 2'29.56"E C - 28°34'39.45"N 77° 2'39.28"E D - 28°34'31.57"N 77° 2'41.82"E E - 28°34'32.48"N 77° 2'44.24"E F - 28°34'45.02"N 77° 2'39.00"E G - 28°34'42.79"N77° 2'32.84"E H - 28°34'47.01"N 77° 2'31.36"E
Compensatory Plantation Site – CS3 (M/o Distt. Park No-2 (Near Pkt-2) Sec-19A)	1845	18450	A - 28°35'1.16"N 77° 2'51.07"E B - 28°34'57.96"N77° 2'55.57"E C - 28°34'51.42"N 77° 2'50.13"E D - 28°34'53.49"N 77° 2'44.23"E
Compensatory Plantation Site - CS4 (M/o Green belt at Sec-23B)	571	5710	A - 28°33'57.89"N 77° 2'32.67"E B - 28°33'53.90"N77° 2'32.08"E C - 28°33'53.71"N 77° 2'35.29"E D - 28°33'54.57"N 77° 2'35.44"E E - 28°33'54.71"N 77° 2'34.12"E F - 28°33'57.79"N 77° 2'34.20"E
Compensatory Plantation Site-CS5 (Dwarka Sector-16C, near Telephone Exchange)	330	3300	A - 28°35'53.51"N 77° 1'7.94"E B - 28°35'50.62"N 77° 1'7.89"E C - 28°35'49.79"N 77° 1'18.27"E D - 28°35'51.11"N 77° 1'18.36"E E - 28°35'51.34"N 77° 1'16.40"E F - 28°35'53.35"N 77° 1'16.84"E
Compensatory Plantation Site – CS6 (M/o Tree Plantation at Sec-11 in Front of Lal Bahadur Shastri Institute).	610	6100	A - 28°35'23.44"N 77° 2'39.86"E B - 28°35'18.23"N 77° 2'47.97"E C - 28°35'25.53"N 77° 2'54.22"E D - 28°35'26.89"N 77° 2'52.32"E E - 28°35'24.01"N 77° 2'40.24"E
Compensatory Plantation Site - CS7 (M/o Park at Sec-19A near police Colony)	600	6000	A - 28°34'35.38"N 77° 3'10.99"E B - 28°34'29.82"N 77° 3'19.51"E C - 28°34'25.42"N 77° 3'15.91"E D - 28°34'30.61"N 77° 3'7.38"E
Total	9858	98580	

Details of locations for Tree Transplantation:-

Particular	No of Trees that can be transplanted	Open Area (sqm)	Coordinates
Transplantation Site - TS1 (M/o Green area at Sec-20 Dwk (Opposite Metro Station Sec-9))	662	6620	A - 28°34'30.93"N 77° 3'39.04"E B - 28°34'24.12"N 77° 3'49.48"E C - 28°34'26.47"N 77° 3'54.14"E D - 28°34'30.07"N 77° 3'51.64"E
Transplantation Site - TS2 (M/o MP Green area at Sector-19 Dwarka. (Peerwala Park))	3375	3375	A - 28°35'4.07"N 77° 2'27.56"E B - 28°34'56.23"N 77° 2'25.65"E C- 28°34'47.44"N 77° 2'29.74"E D - 28°34'50.32"N 77° 2'37.70"E
Total	**4037**	**40370**	

2. **The following conditions shall be fulfilled before starting felling/ transplantation of trees by User Agency:**
   a. Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer in compliance with Section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
   b. User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.
   c. The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
   d. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
   e. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
3. **The following conditions shall be fulfilled during the felling of trees:**
   a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in SN 2 is satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
   b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
   c. The transplantation shall be carried out prior to felling of 56 nos. of trees permitted herein. The 56 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 637 trees and submission of compliance certificate to DCF (West).
   d. The progress report of transplantation/ felling shall be submitted by User Agency to concern Tree Officer along with complete details of trees.
   e. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled/ transplanted till the same is abandoned by the birds.
   f. Transplantation/ felling of any tree apart from 693 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.
   g. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
   h. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (West) by User Agency.
   i. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (West) by User Agency.

j. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days by User Agency.

k. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

l. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

m. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.

n. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy 2020 have been followed and details of the same should be submitted to Tree Officer concerned.

o. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and atleast 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.

4. The following conditions shall be fulfilled for considering successful plantation &release of Security Deposit by the Tree officer:

a. 100% Compensatory Plantation of 6930 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table SN 1(a) & (b) above.

b. 6930 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling/ transplantation 693 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

d. The land over which compensatory plantation/ Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.

e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the Tree Officer (West) at the end of every financial year.

f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.

g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.

h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

5. Permission for transplantation/ felling of 693 tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

This issues with prior approval of Hon'ble Minister (Environment & Forests), Govt. of NCT of Delhi.

SATYA GOPAL, Addl. Chief Secy., (Environment & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.18 22:23:26 +05'30'